प्रेस विज्ञप्ति
08.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल मामले की जांच से संबंधित 80 खच्चर बैंक खातों में पड़ी 14.29 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। जांच से पता चला कि अवैध सट्टेबाजी आय के संग्रह के लिए कई खच्चर खातों का उपयोग ऑनलाइन किया गया था और अवैध सट्टेबाजी आय को कई शेल संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और पश्चिम बंगाल जुआ और पुरस्कार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय, पश्चिम बंगाल द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप एक औपचारिक कॉर्पोरेट संरचना में काम कर रहे थे और अवैध सट्टेबाजी ऐप के संचालन के लिए किराए के आधार पर व्यक्तियों पर संदेह करने के लिए पैनल / फ्रेंचाइजी दे रहे थे। सट्टेबाजी ऐप में ग्राहक अधिग्रहण समूह, उचित कॉल सेंटर, खाता विभाग, ग्राहक जीत निपटान विभाग, आदि जैसे विभिन्न विभाग थे,जो व्हाट्सएप समूहों/टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं। पूर्वोक्त सट्टेबाजी पैनल (क्षेत्र स्तर पर छोटी इकाइयां, जो अवैध सट्टेबाजी संचालन चलाती हैं) अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर खरीदे गए थे। जांच से पता चला कि सट्टेबाजी पैनल खरीदने के लिए भुगतान क्रिप्टो मुद्रा जैसे यूएसडीटी में भुगतान द्वारा किया गया था।

इससे पहले, ईडी ने पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, यूपी और असम में फैले विभिन्न परिसरों में 03.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया था, जो खच्चर खातों को संचालित करने वाले रैकेट और अवैध सट्टेबाजी और जुआ से जुड़ा हुआ था। तलाशी अभियान के दौरान, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और जब्त किए गए।विशाल भारद्वाज उर्फ बादल भारद्वाज और सोनू कुमार ठाकुर को 03.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभिषेक बंसल नाम के एक अन्य व्यक्ति को भी इस मामले में जांच के लिए हिरासत में लिया गया है। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

तत्काल मामले में, ईडी ने पहले लगभग 1130 खच्चर बैंक खातों को रुपये तक की शेष राशि पर रोक लगा दी है। पीएमएलए, 2002 के तहत की गई विभिन्न तलाशियों के दौरान 10.20 करोड़ रुपये का पता चला।

इसके अलावा, 01.08.2025 को तत्काल मामले में 10 आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है और उक्त मामले में विद्वान विशेष कोर्ट, पीएमएलए, 2002 द्वारा पूर्व-संज्ञान आदेश जारी किया गया है।

आगे की जांच चल रही है |